

सरकारी गजर, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारगा

लखनऊ, मंगलवार, 13 ग्रगस्त, 1974 श्रावण 22, 1896 शक सम्बत्

> उत्तर प्रदेश सरकार विधायिका स्रतुभाग-1

संख्या 2661/17-वि0-1--50-74 लखनऊ, 13 प्रगस्त, 1974

स्र धिसू चना विविध

'भारत का संविधान' के ब्रनुक्छेद 200 के ब्रधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1974 पर दिनांक 13 ग्रगस्त, 1974 को श्रनुमित प्रदान की श्रीर वह उत्तर प्रदेश ग्रिधिनियम संख्या 25, 1974 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस ग्रिधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) श्रधिनियम, 1974

(उत्तर प्रदेश ग्रधिनियम संख्या 25, 1974)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका म्रधिनियम, 1959 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

श्रिधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसर्वे वर्ष में निम्निलिखित ग्रिधिनियम बनाया जाता है:---

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, 1974 संक्षिप्त नाम कहलायेगा। 1959 के उत्तर प्रदेश प्रधिनियम सं० 2 में नई धारा 8-क का धन्तः स्यापन 2---- उत्तर प्रदेश नगर महापालिका ग्राधिनियम, 1959 की घारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित बारा बढ़ा दी जाय, श्रर्थात्:----

- - (क) इस ग्रिधिनियम में किसी बात के होते हुए भी नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, समासद, विशिष्ट सदस्य ग्रीर धारा 95 तथा 97 के ग्रेधीन संगठित या नियुक्त समस्त विशेष समितियों, संयुक्त समितियों तथा उप समितियों के सदस्य तथा महापालिका का मुख्य नगर ग्रिधिकारी, ग्रयना-ग्रयना पद रिक्त कर देंगे, तथा ऐसी समस्त विशेष समितियां, संयुक्त समितियां ग्रीर उप-समितियां विघटित हो जायेंगी;
 - (ख) महापालिका, उसके नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, कार्यकारिणी समिति, विकास सिनित तथा घारा 5 के खण्ड (ङ) के ग्रधीन नियुक्त भ्रन्य सिनित्यों की तथा मुख्य नगर श्रधिकारी की समस्त शिवतयां, कृत्य, तथा कर्तव्य राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त श्रधिकारी में, (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रशासक कहा गया है) निहित हो जाएंगे और उनका प्रयोग, भ्रनुपालन तथा निर्वहन उसके द्वारा किया जायेगा, तथा प्रशासक की विधि की दृष्टि से महापालिका, नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, कार्यकारिणी समिति, विकास समिति या भ्रन्य समितियां भ्रथवा मुख्य नगर श्रधिकारी जैसा भी भ्रवसर के भ्रनुसार भ्रपेक्षित हो, समझा जायेगा;
 - (ग) प्रशासक, राज्य सरकार के किन्हीं साधारण या विशेष भादेशों के श्रधीन रहते हुए, खण्ड (ख) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों में से सब या किन्हीं के बारे में—
 - (i) उसके द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट रीति से संगठित समिति या ग्रन्थ निकाय से, यदि कोई हो, परामर्श कर सकेगा; ग्रथवा
 - (ii) इस प्रकार प्रदत्त शिवतयों को ऐसी शतों के ब्रधीन रहते हुए जो ब्रिधरोपित करना वह उचित समझे, उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाने वाले किसी व्यक्ति श्रथवा उप खंड (i) के ब्रधीन संगठित किसी सिमिति या श्रन्य निकाय को प्रत्यायोजित कर सकेगा;
 - (घ) प्रशासक का वेतन ग्रौर भत्ते, जो उस निमित्त राज्य सरकार के साधारण या विशेष ग्रादेशों द्वारा नियत किए जाएं, महापालिका की निधि से दिए जायेंगे।
- (2) नई महापालिका के गठन के लिए इस म्रधिनियम के उपबन्धों के मनुसार मावश्यक निर्वाचन, उप धारा (1) के मधीन प्रशासक की नियुक्ति के दिनांक से एक वर्ष की म्रदिध के भीतर किए जाएंगेः

परन्तु राज्य सरकार समय-समय पर, सरकारी गजट में प्रकाशित स्रादेश द्वारा, उक्त स्रविध को विस्तारित कर सकेगी, किन्तु इस प्रकार कि ऐसा विस्तार कुल मिलाकर एक वर्ष से स्रमधिक हो।"

निरसन तथा अपवाद

- 3--(1) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) श्रिधिनियम, 1973 एतद्हारा निरस्त किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त ग्रधिनियम के ग्रधीन ग्रथवा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) ग्रह्मादेश, 1973 के ग्रधीन किया गया कोई कार्य था की गई कोई ऋषा इस ग्रधिनियम के ग्रधीन किया गया कार्य या की गई किया समझी जायगी मानो यह ग्रधिनियम 12 जून, 1973 को प्रवृत हो गया था।

No. 2661 (2)/XVII-V-1-50-74

In pursuance of the provisions of Clause (3) Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika (Sanshodhan) Adhiniyam, 1974 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 25 of 1974) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Govrnor on August 13, 1974.

THE UTTAR PRADESH NAGAR MAHAPALIKAS (AMENDMENT) ACT, 1974

e stole -

વેરીસાઇ -{શાકા પ

is constituted.

[U. P. ACT No. 25 of 1974]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

An ACT

furthen to amend the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959

It is HEREBY enacted in the Twenty-fifth Year of the Republic of India as follows:

- 1. This Act may be called the Uttar Pradesh Nagar Mahapalikas (Amend- Short title. ment) Act, 1974.
- 2. After section 8 of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1949, the following section shall be inserted, namely:

Insertion of new section 8-A in U.P. Act II of 1959.

- "8-A. (1) Where the term or the extended term of the Mahapalika
 Temporary provisions regarding administration of Mahapalika until the due constitution of the new Mahapalika under section 9—

 "8-A. (1) Where the term or the extended term of the Mahapalika has not been constituted, then until the due constitution of the new Mahapalika under section 9—
 - (a) notwithstanding anything in this Act, the Nagar Pramukh, the Up-Nagar Pramukh, the Sabhasads, the Vishistha Sadasyas and the members of all Special Committees, Joint Committees and Sub-Committees constituted or appointed under sections 95 and 97 and the Mukhya Nagar Adhikari of the Mahapalika shall vacate their respective offices, and all such Special Committees, Joint Committees and Sub-Committees shall stand dissolved;
 - (b) all powers, functions and duties of the Mahapalikas, its Nagar Pramukh, Up-Nagar Pramukh, Executive Committee, Development Committee; and other Committees appointed under clause (e) of section 5 and of the Mukhya Nagar Adhikari shall be vested in and be exercised, performed and discharged by an officer appointed in that behalf by the State Government (hereinafter referred to as the Administrator), and the Administrator shall be deemed in law to be the Mahapalika, the Nagar Pramukh, the Up-Nagar Pramukh, Executive Committee, Development Committee or other Committees, or the Mukhya Nagar Adhikari as the occasion may require;
 - (c) subject to any general or special orders of the State Government, the Administrator may, in respect of all or any of the powers conferred on him by clause (b),—
 - (i) consult such Committee or other body, if any, constituted in such manner as may be specified by him in that behalf; or
 - (ii) delegate, subject to such conditions as he may think fit to impose, the powers so conferred, to any person or to any committee or other body constituted under sub-clause (i), to be specified by him in that behalf;
 - (d) such salary and allowances of the Administrator as may be fixed by general or special orders of the State Government in that behalf shall be paid out of the Mahapalika Fund.

(2) Necessary elections shall be held in accordance with the provisions of this Act for the constitution of the new Mahapalika within a period of one year from the date of appointment of the Administrator under sub-section (1):

Provided that the State Government may from time to time, by order published in the official Gazette, extend the said period, so, however, that such extention does not in the aggregate exceed one year.".

Repeal

3. (1) The Uttar Pradesh Nagar Mahapalikas (Amendment) Act, 1973, is hereby repealed.

President Act 12 1973.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Act or under the Uttar Pradesh Nagar Mahapalikas (Amendment) Ordinance, 1973, shall be deemed to have been done or taken as if this Act of 1973 had commenced on the 12th day of June, 1973.

श्राज्ञा से, कैलाइा नाथ गोयल,